(10)

5. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin —Member

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :

1. Joint Secretary (Fisheries), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Chairman
2. Joint Secretary (Administration), Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member
3. Fishery Development Commissioner, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries —Member
4. Director, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi —Member

[F. No. 3-16/2009-Fy. Admn.]
SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 103.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (समूह ''ग'') पद भर्ती नियम, 2006 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशु पालन, डेयरी और मत्स्य विभाग में केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची में आशुलिपिक, श्रेणी-I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौवहन तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोच्ची आशुलिपिक श्रेणी-I भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनबैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आशुलिपिक, श्रेणी-I	01* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है I)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
संयुक्त विधि (प्रतिनियुक्ति + आमेलन)	(प्रतिनियुक्ति + आमेलन) 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो अपने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जो अपने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200—20200 रु. + 2800 रु. ग्रेड वेतन में छह वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं; या (iii) जो अपने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200—20200 रु. + 2400 रु. ग्रेड वेतन में दस वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं; और (ख) जो नीचे दिए अनुसार शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हैं : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ।

(11)

(ii) आशुलिपिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव ।

जो अपने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1 में 5200—20200 रु. + 2400 रु. ग्रेड वेतन में दस वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं ।

II. ऐसे विभागीय आशुलिपिक जो वेतन बैंड-3 में 5200-20200 रु.+2400 रु. ग्रेड वेतन में उस श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं पर बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और उनके नियुक्ति के लिए चयन की दशा में पद को प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 3-05/2012-एफवाई. प्रशा.]

सुदीपा कोहली, अवर सचिव

New Delhi, the 22nd April, 2013

G. S.R. 103.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training Stenographer Grade II (Group 'C'), Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade I in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi, Stenographer Grade I Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and pay band, grade pay or pay scale. - The number of post, its classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. .- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Stenographer Grade I	01*(2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees only

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
Composite method (deputation plus promotion)	**Deputation Plus Promotion :** — I. Officers under the Central Government or State Government or Union Terrritory Administration; (a)(i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' regular service in PB-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2800 on a regular basis in the parent cadre or department; or (iii) with ten years' regular service in PB-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2400 on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualification and experience as under: (i) 12th pass from a recognised Board or University. (ii) possessing two years' experience as Stenographer. II. The Departmental Stenographer Grade II in the Pay Band 1 (PB-1) of Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 with ten years' regular service in the grade will also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1.-** The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. **Note 4.-**For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the pay commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
If a Departmental Promotion Committee exists what is the composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary for filling up of post.

[F. No. 3-05/2012-Fy. Admn.]
SUDEEPA KOHLI, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, आंकडा प्रसंस्करण सहायक श्रेणी 'क' भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा में आंकड़ा प्रक्रमण सहायक पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा आंकड़ा प्रक्रमण सहायक समूह 'ख' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.— उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।